



## जन हितैषी

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करे, सरकार

# वैदिक काल में सामाजिक स्थिति

ऋग्वैदिक काल में समाज चार वर्णों में विभक्त था । ये वर्ण थे : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । ब्राह्मण का मुख्य कार्य पूजा-पाठ यज्ञ अध्ययन-अध्यापन तथा दान लेना इत्यादि था। क्षत्रिय मुख्य रूप से योद्धा वर्ग था जो प्रशासन का कार्य देखते थे। वैश्य कृषि-व्यापार- बाणिज्य इत्यादि से संबंधित कार्य करते थे और शूद्र सेवा प्रदान करने का कार्य करते थे। समाज का यह वर्गीकरण अनुवांशिक न होकर व्यक्ति के व्यवसाय यानी काम पर आधारित था । उत्तर वैदिक काल आते आते यह वर्णांश्रम व्यवस्था अपने सबसे मजबूत स्वरूप में आ गई। इसी काल में गोत्र की अवधारणा भी उजागर हुई। एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति एक गोत्र के कहे जाने लगे। मौलिक रूप से गोत्रों की संख्या 7 बताई गई : कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, एवं विश्वामित्र। अगस्त को आठवां गोत्र माना जाता है। इस युग की दूसरी विशेषता थी “आश्रम व्यवस्था”। आश्रम व्यवस्था के चार चरण बताए गए हैं : पहला, ब्रह्मचर्य - जन्म से 25 वर्ष तक। यह विद्या- अर्जन एवं बौद्धिक विकास से संबंधित था। दूसरा, गृहस्थ आश्रम, जो 25 वर्ष से प्रारंभ होकर 50 वर्ष तक रहता था। इस दौरान व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण परिवारिक- सामाजिक उत्तरदायित्व का वाहन किया जाता था। तीसरा, वानप्रस्थाश्रम - 50 से 75 वर्ष तक था। यह पारलैकिक जीवन से संबंधित था एवं अंतिम चरण सन्ध्यास था जो 75 वर्ष के उपरांत का जीवन था। इस अवस्था में मनुष्य संसार का त्याग कर एक सन्ध्यासी जीवन व्यतीत करता था। इस युग में लोगों द्वारा व्यवसाय चुने जाने का आधार अपनी योग्यता तथा पसंद था , न कि जन्म या अनुवांशिक रूप से, जैसे कि आगे चलकर अपनाए जाने लगे थे। एक ही परिवार के लोगों द्वारा इच्छानुसार अलग-अलग पेशा या व्यवसाय अपनाए जाने के उदाहरण मिलते हैं। जैसा कि ऋग्वेद के सूक्त 9. 112 में एक व्यक्ति कहता है : “मैं कवि/गायक हूँ; पेरे पिता वैद्य हूँ; मेरी माता चक्की चलाने वाली है; भिन्न-भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं; जैसे पशु (अपने बड़े में) रहते हैं।” इस युग में एक -विवाह प्रथा प्रचलित थी। बालविवाह का प्रचलन नहीं था। विवाह के लिए वरण की स्वतंत्रता का भी कहीं-कहीं उल्लेख मिलता है। विधवा स्त्री अपने मृतक पति के छोटे भाई (देवर) से विवाह कर सकती थी। पिता की संपत्ति साधारणतः उत्तराधिकार में पुत्र को प्राप्त होती थी। किंतु यदि कोई पुरी अपने माता-पिता की एकमात्र संतान होती थी तब यह संपत्ति उसे प्राप्त होती थी। ऋग्वेदिक काल में लिंगों की स्थिति सम्मानजनक थी। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे, प्रायः 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होते थे। पर्वा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। हालांकि लिंगों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उन्हें शिक्षा दी जाती थी। अपाला, लोपामुहा, विश्वावारा, घोषा आदि नारियों के मन्त्र द्रष्टा होकर ऋग्वेद प्राप्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। अब सभा व समिति में उन्हें प्रवेश का अधिकार नहीं रहा। पुत्रों की तुलना में पुत्रियों को संपत्ति से वंचित किया जाने लगा तथा कई बार तो पुत्रियों के जन्म को भी होत्साहित किया गया। लोग मिट्टी एवं धास फूम से बने मकानों में रहते थे। ऋग्वेदकालीन संस्कृति \*लृङ्-हृङ्-लृङ्-दृङ् थी। नगरीकरण ऋग्वेद काल की विशेषता नहीं है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। वैदिक कालीन सूत्र साहित्य 1.कल्पसूत्र : विधि एवं नियमों का प्रतिपादन। 2.श्रौतसूत्र : यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि-विधानों की व्याख्या। 3.शुल्वसूत्र : यज्ञ स्थल तथा अन्नि वेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम,जिसमें भारतीय ज्यामिति अपने प्रारंभिक रूप दिखाई देती है। 4.धर्मसूत्र : सामाजिक-धार्मिक कानून तथा आचार संहिता। 5.ग्रह सूत्र : मनुष्य के लैकिक एवं पारतौकिक कर्तव्य। वैदिक काल में आर्थिक जीवन ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जन-जीवन भूष्यतः कृषि, पशुपालन और वाणिज्य एवं व्यापार पर निर्भर था। गायें, भेड़-बकरियाँ, गधे, कुत्ते, भैंसें आदि उपयोगी पालतू पशु थे। हल जोतने और गाड़ी खींचने में बैलों का उपयोग किया जाता था और रथ खींचने में घोड़े उपयोग में लाये जाते थे। कृषि में खाद का भी प्रयोग किया जाता था,ऐसे प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद के कई प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिंचाई की प्रथा भी थी। खाद्यान्त्रों को सामूहिक रूप से घव और धान्य कहा जाता था। वैदिक साहित्य में दस प्रकार के अन्न उगाए जाने का उल्लेख है। अन्य व्यवसायों में मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, बहुर्गीरी, धातु का काम, चमड़े का काम आदि उल्लेखनीय हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है की ऋग्वैदिक काल में धातु के तौर पर केवल ताँबे का ही प्रयोग होता था, जिसे अयस् कहा जाता था। बाद में लोहा प्रचलन में आया जिसे श्याम अयस् कहा जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में वाणिज्य-व्यापार होता था और व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। लेन-देन में वस्तु-विनियम (लेखक - संजय गोस्वामी/ईएमएस)

की प्रणाली प्रचलित थी। साहूकारी, यानी व्याज पर धन उधार देने की प्रथा भी प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि ने पशुपालन की जगह मुख्य पेशे का स्थान ग्रहण कर लिया। वैदिक काल में धर्म व दर्शन ऋग्वैदिक काल में साधारणतया प्राकृतिक शक्तियों की ही विभिन्न देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में मन्दिर अथवा मूर्तिपूजा का उल्लेख नहीं है। तथापि कर्मकाण्ड का विशेष महत्व था। देवतों की आराधना मुख्यतः स्तुतिपाठ एवं यज्ञाहुति से की जाती थी। वैदिक देवताओं को स्थान के अनुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1.पृथ्वी - स्थानीय देवगण, 2.अंतरिक्ष-स्थानीय देवगण और 3.वायु -स्थानीय देवगण। पृथ्वी, अग्नि, सौम, बृहस्पति और नदियाँ प्रथम श्रेणी में आती हैं; इंद्र, अपाम्-नपात, रुद्र, वायु-वात, पर्जन्य और आपः द्वितीय श्रेणी के देवगण हैं; और वरुण, मित्र, सूर्य, सारित्री, पूषन्, विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन् तृतीय श्रेणी में आते हैं। इंद्र और वरुण को इन देवगणों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, वे बाकी सबसे बड़े माने गए हैं। इंद्र का स्थान सर्वी देवताओं में सर्वोच्च था। मुख्यता यह युद्ध के देवता माने जाते थे। ऋग्वेद के 250 सूत्र अकेले इंद्र को ही समर्पित हैं। अग्नि और सौम भी लोकप्रिय देवता थे। सौम वनस्पति के देवता थे जबकि अग्नि को पृथ्वी और स्वर्य के बीच संदेशवाहक के रूप में आदर दिया जाता था। वे मनुष्य द्वारा दिए गये चढ़ावों को देवता तक ले जाने का कार्य करते थे। इसके अलावा, अग्नि ही ऐसे एकमात्र देवता थे जो देवताओं की तीनों श्रेणियों में विद्यमान थे। देवताओं की उत्पत्ति तो मानी गई है किंतु अंत नहीं। अर्थात् वे अमर माने गये थे। (लेखक - संजय गोस्वामी/ईएमएस)

पेरिस (ईएमएस)। भारत के धीरज बोम्मादेवरा और अंकिता भक्त की जोड़ी पेरिस ओलंपिक खेलों की मिश्रित तीरंदाजी इवेंट के सेमीफाइनल में पहुँच गयी है। धीरज और अंकिता ने अंतिम 8 में स्पेन को 37-36 से हराया। धीरज और अंकिता के पास अब पदक जीतने का अच्छा अवसर है। अब सेमीफाइनल में इनका सामना दक्षिण कोरियाई जोड़ी से होगा।

भारतीय जोड़ी ने पहले सेट को 37-36 से जीतने के बाद दूसरा सेट 38-38 से बराबर किया। वहीं तीसरे सेट में अंकिता के दोनों निशाने 10 अंक पर लगे जिससे भारत ने 12वीं बरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ 38-37 से मैच जीत लिया। इस तरह भारत ने क्वार्टर फाइनल का सफर तय किया। इस जोड़ी ने पहला सेट 38-37 से अपने नाम किया। भारत ने ग्रीष्मीय क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को हराकर अंतिम 8 में एंट्री मारी थी!

## पेरिस ओलंपिक : भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा

पेरिस (ईएमएस)। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को अंतिम ग्रुप मैच में हराकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में 52 साल बाद हराया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। भारत ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को म्यूनिख ओलंपिक 1972 में हराया था।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीमें पेरिस ओलंपिक के ग्रुप बी में हैं। वहीं बेल्जियम इस ग्रुप में अपने चारों मैच जीतकर पहले नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 9 अंक के साथ दूसरे और भारत 7 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है। वहीं अर्जेन्टीना के भी 7 अंक हैं। लेकिन वह गोल अंतर में पीछे होने के चलते चौथे नंबर पर है। आयरलैंड और न्यूजीलैंड अपने चारों मैच हारा हैं और खिताबी रेस से बाहर हैं।

भारत ने इस मैच में तेज शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया ने 10 वें मिनट में जोरदार अटैक किया। उसे पेनाल्टी कॉर्नर भी मिला लेकिन भारत ने गोल नहीं होने दिया।

भारत ने पहले क्वार्टर के 12वें मिनट में गोल किया। यह मैच का पहला गोल अधिकार ने ललित के शॉट पर रिबाउंड पर किया। भारत ने इसके साथ ही 1-0 की बढ़त बना ली है।

भारत ने 13वें मिनट में एक गोल और किया। ये गोल पेनाल्टी कॉर्नर पर कपाना हरमनप्रीत मिंह ने किया। पहले क्वार्टर का खेल खत्म होने पर भारत 2-0 से आगे रहा। यह पेरिस ओलंपिक में पहला मौका है, जब भारत ने किसी टीम के खिलाफ पहले क्वार्टर में दो गोल किये हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 19वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया। हालांकि, वह गोल नहीं कर सका।

ऑस्ट्रेलिया ने 25वें मिनट में गोल कर दिया है। उसने इस गोल के साथ ही भारत की बढ़त कम कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह गोल थॉमस क्रेग ने किया। मैच का दूसरा क्वार्टर खत्म हुआ तो भारत 2-1 से आगे रहा।

# सावन मास का महत्व एवं शिव की शरण

**तो अब अदालत को भी पलटने का हक**

आरक्षण वें मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले को लेकर नाना-प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग और राजनीतिक दल इस फैसले से खुश हैं तो कुछ नाखुश, क्योंकि अदालत ने अपने डेह दशक पुणे के फैसले को पलटते हुए कोटे के भीतर आरक्षण कोटा तथा करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है, शीर्ष अदालत का फैसला जहां आरक्षण विरोधी संघ, भाजपा और कुछ अन्य दलों के एजेंडों पर कुठाराघात है वहीं कुछ दलों के लिए राजनीति चमकने का अवसर भी।

हमारे देश में जैसे जाति एक हकीकत है वैसे ही आरक्षण भी एक हकीकत है। आजादी के बाद से ही ये देश आरक्षण और जातियों के बीच झूल रहा है या कहिये पिस रहा है। कुछ लोग और दल चाहते हैं कि अब देश में जाति और जातिगत आरक्षण हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाये क्योंकि ये दोनों ही बराबरी और विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि जब तक समाज में आर्थिक बराबरी न आ जाये तब तक जाती का तो पता नहीं किन्तु आरक्षण को बनाये रखना चाहिए जाती को लेकर हमारे समाज की मान्यताएं भी भिन्न हैं। कोई कहता है कि जाति न पूछो साधू की, पूछ लीजिये ज्ञान, तो कोई कहता है जातिपांत पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि को होय। इसके बाद भी हमारी संसार में जाति भी नहीं सही नहीं है।

की तरह अदालतें भी अपने फैसले समयानुसार बदल सकती हैं? मेरे हिसाब से बिलकुल बदल सकती हैं, क्योंकि फैसले व्यक्ति करते हैं, मरीने नहीं। यदि शीर्ष अदालतों में फैसले मरीने करती तो मुमकिन है कि वे अपने ही फैसले न बदलती लेकिन जब व्यक्ति फैसले करते हैं तो उन्हें फैसले बदलने का हक है। क्योंकि कोई भी फैसला समीक्षा के योग्य होता है और सो फीसदी सही नहीं होता। उसमें संशोधन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अर्थात फैसले बदलने का हक केवल इस देश के नेताओं को ही नहीं अपितु अदालतों को भी है। वे जनमानस के मनोभावों के अनुरूप चलती हैं। क्रानून और साक्ष्य तथा तर्क-वित्क अदालतों को फैसला करने में सहायक होते हैं।

याद कीजिये कि यही मामला जब पहले शीर्ष अदालत में आया था तब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को सब-क्लासिफिकेशन करने की इजाजत नहीं है लेकिन अब उसी सुप्रीम कोर्ट के छह जजों ने इस फैसले को पलट दिया। हालांकि, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने छह जजों से असहमति जताई। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली सात जजों की बोंच ने कहा है कि अनुसूचित जाती के सब-क्लासिफिकेशन से संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही कहा कि इससे अनुच्छेद-341 (2) का अनुसूचित जाती को अनुसूचित जाती का तरह अदालतें भी अपने फैसले समयानुसार बदल सकती हैं? मेरे हिसाब से बिलकुल बदल सकती है। इसके बाद भी अपने कंठ में उतार लिया और उसे वर्धी अपने कंठ में अवरुद्ध कर लिया। इस प्रकार इनका नाम नील कंठ पड़ा। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव को जहर के संताप से बचाने के लिए उन्हें गंगाजल अर्पित किया। इसके बाद से ही शिव भक्त सावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्रुमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होते हैं तथा शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। इन दिनों में अनेक प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है जो भिन्न-भिन्न फलों को प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि जल से वर्षा और शीतलता की प्राप्ति होती है। दूर्घ अभिषेक एवं धृत से अभिषेक करने पर योग्य संतान की प्राप्ति होती है। ईर्ष के रस से धन संपदा की प्राप्ति होती है। कुणोदक से समाप्त व्याधि शांत होती है। दधि से पशु धन की प्राप्ति होती है और शहद से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।

इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा के अनुसार, मरकूर औरि के पुत्र मारकण्डेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। इस महीने में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है और जीवन रक्षक माना गया है। भगवान शिव को सावन लिया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये फैसला जलदबाजी का फैसला है। फैसला आखिर फैसला है। इसे अब केवल देश की संसद नया क्रानून बनाकर बदल सकती है। और अतीत में सरकारें अदालतों के फैसलों के खिलाफ नए क्रानून बनाती रहीं हैं। इसीलिए अदालतों के फैसलों का कभी स्वागत किया जाता है तो कभी विरोध। इस फैसले का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और उनके अपने तर्क भी है। संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर को शीर्ष अदालत का ये फैसला अच्छा नहीं अपितु अदालतों को भी है। वे जनमानस के मनोभावों के अनुरूप चलती हैं। क्रानून और साक्ष्य तथा तर्क-वित्क अदालतों को फैसला करने में सहायक होते हैं।

याद कीजिये कि यही मामला जब पहले शीर्ष अदालत में आया था तब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को सब-क्लासिफिकेशन करने की इजाजत नहीं है लेकिन अब उसी सुप्रीम कोर्ट के छह जजों ने इस फैसले को पलट दिया। हालांकि, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने छह जजों से असहमति जताई। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली सात जजों की बोंच ने कहा है कि अनुसूचित जाती के सब-क्लासिफिकेशन से संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही कहा कि इससे अनुच्छेद-341 (2) का अनुसूचित जाती को अनुसूचित जाती का तरह अदालतें भी अपने फैसले को लेकर नाखुश, क्योंकि अदालत ने अपने डेह दशक पुणे के फैसले को पलटते हुए कोटे के भीतर आरक्षण कोटा तथा करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है, शीर्ष अदालत का फैसला जहां आरक्षण विरोधी संघ, भाजपा और कुछ अन्य दलों के एजेंडों पर कुठाराघात है वहीं कुछ दलों के लिए राजनीति चमकने का अवसर भी।

भगवान शिव के प्रति जन-जन की भक्ति और निष्ठा, उनका समर्पण और उनकी स्तुति अनायास नहीं है, बल्कि भक्तों ने शिव की भक्ति में वह सब कुछ पाया है, जो उन्होंने चाहा है। यह उस अनादिअनंत, शांतस्वरूप पुरुषोत्तम शिव की भक्ति और वंदना का ही परिणाम है कि व्यक्ति अपनी परेशानियों, असाध्य बीमारियों से उभरकर स्वस्थ बन जाता है, अपने धौतिक जीवन में हर कामनाओं को पूर्ण होते हुए देखता है। वस्तुतः अपने विरोधियों एवं शत्रुओं को मित्रत बना लेना ही सच्ची शिवभक्ति है। जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है उन्हें शिव गले लगाते हैं। तभी तो भक्त भगवान शिव जन-जन की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। वे देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहारकर्ता, सर्वव्यापक, कल्याणरूप, चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण हैं, जिनकी गोद में पार्वती, मस्तक पर गण, ललाट पर बाल चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शोभित हैं, वे भस्म से विभूषित हैं। जो जगत का भरण करते हैं पर स्वयं भिशु हैं, जो सब प्राणियों को निवास देते हैं परंतु स्वयं गृहीन हैं, जो विश्व को ढकते हैं परंतु स्वयं नग्न हैं। मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति को बहुत मान देते हैं। क्षीर समुद्र का दान करने वाले शिव अपने भक्तों द्वारा दिए गए दुर्घट बिंदु को ग्रहण कर लेते हैं। तीन नेत्रों में सूर्य, चंद्र और अन्नि को धारण करते हुए भी आप भक्तों द्वारा दिए गए दीपक को स्वीकार कर लेते हैं। वाणियों के उत्पत्ति स्थान होते हैं परार्ज जब जारी होता है और शिव भक्ति का एक प्रवाह संपूर्ण संसार में प्रवहमान बने, यही इस संसार और सृष्टि का उत्तरयन और उत्थान कर सकती है।

भगवान शिव के प्रति जन-जन की भक्ति और निष्ठा, उनका समर्पण और उनकी स्तुति अनायास नहीं है, बल्कि भक्तों ने शिव की भक्ति में वह सब कुछ पाया है, जो उन्होंने चाहा है। यह उस अनादिअनंत, शांतस्वरूप पुरुषोत्तम शिव के प्रताप से परस्पर प्रेमपूर्वक निवास करते हैं। शंकर का वाहन बैल है तो पार्वती का वाहन सिंह, गणेश का वाहन चूहा है तो शिव के गले का हार सर्प एवं कार्तिकेय का वाहन मूर्य है। ये सभी परस्पर वैरभाव को छोड़ कर सौंहार्द एवं सद्भाव से रहते हैं। शिव परिवार का यह आदर्श रूप प्रत्येक परिवार एवं समाज के लिये प्रेरक है। भगवान शिव जन-जन की रक्षा करते हैं। तभी तो भक्त भगवान शिव की शरण आकर निश्चिंत हो जाता है, तभी तो अधम रूपी भूत-पिशाच शिव के साथी एवं गण हैं। शिव सच्चे पतित पावन हैं। उनके इसी स्वभाव के कारण देवताओं के अलावा दानव भी शिव का आदर करते हैं और भक्ति करते हैं। समाज जिनकी उपेक्षा करता है, शंकर उन्हें आमंत्रित करते हैं। ऐसे पालक रुद्रदेव की शरण में भक्त स्वयं करता है। उनके इसी स्वभाव के कारण देवताओं के अलावा दानव भी शिव का आदर करते हैं और भक्ति करते हैं। समाज जिनकी उपेक्षा करता है, शंकर उन्हें आमंत्रित करते हैं। ऐसे पालक रुद्रदेव की शरण में भक्त स्वयं करता है। उनकी गोद में पार्वती, मस्तक पर गण, ललाट पर बाल चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शोभित हैं, वे भस्म से विभूषित हैं। जो जगत का भरण करते हैं पर स्वयं भिशु हैं, जो सब प्राणियों को निवास देते हैं परंतु स्वयं गृहीन हैं, जो विश्व को ढकते हैं परंतु स्वयं नग्न हैं। मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति को बहुत मान देते हैं। क्षीर समुद्र का दान करने वाले शिव अपने भक्तों द्वारा दिए गए दुर्घट बिंदु को ग्रहण कर लेते हैं। तीन नेत्रों में सूर्य, चंद्र और अन्नि को धारण करते हुए भी आप भक्तों द्वारा दिए गए दीपक को स्वीकार कर लेते हैं। वाणियों के उत्पत्ति स्थान होते हैं परार्ज जब जारी होता है और जीवन रक्षक माना गया है। भगवान शिव को सावन लिया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये फैसला जलदबाजी का फैसला है। फैसला आखिर फैसला है। इसे अब केवल देश की संसद नया क्रानून बनाकर बदल सकती है। और अतीत में सरकारें अदालतों के फैसलों के खिलाफ नए क्रानून बनाती रहीं हैं। इसीलिए अदालतों के फैसलों का कभी स्वागत किया जाता है तो कभी विरोध। इस फैसले का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और उनके अपने तर्क भी है। संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर को शीर्ष अदालत का ये फैसला अच्छा नहीं अपितु अदालतों को भी है। वे जनमानस के मनोभावों के अनुरूप चलती हैं। क्रानून और साक्ष्य तथा तर्क-वित्क अदालतों को फैसला करने में सहायक होते हैं।

भगवान शिव के प्रति जन-जन की भक्ति और निष्ठा, उनका समर्पण और उनकी स्तुति अनायास नहीं है, बल्कि भक्तों ने शिव की भक्ति में वह सब कुछ पाया है, जो उन्होंने चाहा है। यह उस अनादिअनंत, शांतस्वरूप पुरुषोत्तम शिव के प्रताप से परस्पर प्रेमपूर्वक निवास करते हैं। शंकर का वाहन बैल है तो पार्वती का वाहन सिंह, गणेश का वाहन चूहा है तो शिव के गले का हार सर्प एवं कार्तिकेय का वाहन मूर्य है। ये सभी परस्पर वैरभाव को छोड़ कर सौंहार्द एवं सद्भाव से रहते हैं। शिव परिवार का यह आदर्श रूप प्रत्येक परिवार एवं कार्तिकेय का वाहन है। भगवान शिव जन-जन की रक्षा करते हैं। तभी तो भक्त भगवान शिव की शरण आकर निश्चिंत हो जाता है, तभी तो अधम रूपी भूत-पिशाच शिव के साथी एवं गण हैं। जिनकी गोद में पार्वती, मस्तक पर गण, ललाट पर बाल चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शोभित हैं, वे भस्म से विभूषित हैं। जो जगत का भरण करते हैं पर स्वयं भिशु हैं, जो सब प्राणियों को निवास देते हैं परंतु स्वयं गृहीन हैं, जो विश्व को ढकते हैं परंतु स्वयं नग्न हैं। मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति को बहुत मान देते हैं। क्षीर समुद्र का दान करने वाले शिव अपने भक्तों द्वारा दिए गए दुर्घट बिंदु को ग्रहण कर लेते हैं। तीन नेत्रों में सूर्य, चंद्र और अन्नि को धारण करते हुए भी आप भक्तों द्वारा दिए गए दीपक को स्वीकार कर लेते हैं। वाणियों के उत्पत्ति स्थान होते हैं परार्ज जब जारी होता है और जीवन रक्षक माना गया है। भगवान शिव को सावन लिया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये फैसला जलदबाजी का फैसला है। फैसला आखिर फैसला है। इसे अब केवल देश की संसद नया क्रानून बनाकर बदल सकती है। और अतीत में सरकारें अदालतों के फैसलों के खिलाफ नए क्रानून बनाती रहीं हैं। इसीलिए अदालतों के फैसलों का कभी स्वागत किया जाता है तो कभी विरोध। इस फैसले का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और उनके अपने तर्क भी है। संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर को शीर्ष अदालत का ये फैसला अच्छा नहीं अपितु अदालतों को भी है। वे जनमानस के मनोभावों के अनुरूप चलती हैं। क्रानून और साक्ष्य तथा तर्क-वित्क अदालतों को फैसला करने में सहायक होते हैं।

भगवान शिव के प्रति जन-जन की भक्ति और निष्ठा, उनका समर्पण और उनकी स्तुति अनायास नहीं है, बल्कि भक्तों ने शिव की भक्ति में वह सब कुछ पाया है, जो उन्होंने चाहा है। यह उस अनादिअनंत, शांतस्वरूप पुरुषोत्तम शिव के प्रताप से परस्पर प्रेमपूर्वक निवास करते हैं। शंकर का वाहन बैल है तो पार्वती का वाहन सिंह, गणेश का वाहन चूहा है तो शिव के गले का हार सर्प एवं कार्तिकेय का वाहन मूर्य है। ये सभी परस्पर वैरभाव को छोड़ कर सौंहार्द एवं सद्भाव से रहते हैं। शिव परिवार का यह आदर्श रूप प्रत्येक परिवार एवं कार्तिकेय का वाहन है। भगवान शिव जन-जन की रक्षा करते हैं। तभी तो भक्त भगवान शिव की शरण आकर निश्चिंत हो जाता है, तभी तो अधम रूपी भूत-पिशाच शिव के साथी एवं गण हैं। जिनकी गोद में पार्वती, मस्तक पर गण, ललाट पर बाल चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शोभित हैं, वे भस्म से विभूषित हैं। जो जगत का भरण करते हैं पर स्वयं भिशु हैं, जो सब प्राणियों को निवास देते हैं परंतु स्वयं गृहीन हैं, जो विश्व को ढकते हैं परंतु स्वयं नग्न हैं। मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति को बहुत मान देते हैं। क्षीर समुद्र का दान करने वाले शिव अपने भक्तों द्वारा दिए गए दुर्घट बिंदु को ग्रहण कर लेते हैं। तीन नेत्रों में सूर्य, चंद्र और अन्नि को धारण करते हुए भी आप भक्तों द्वारा दिए गए दीपक को स्वीकार कर लेते हैं। वाणियों के उत्पत्ति स्थान होते हैं परार्ज जब जारी होता है और जीवन रक्षक माना गया है। भगवान शिव को सावन लिया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये फैसला जलदबाजी का फैसला है। फैसला आखिर फैसला है। इसे अब केवल देश की संसद नया क्रानून बनाकर बदल सकती है। और अतीत में सरकारें अदालतों के फैसलों के खिलाफ नए क्रानून बनाती रहीं हैं। इसीलिए अदालतों के फैसलों का कभी स्वागत किया जाता है तो कभी विरोध। इस फैसले का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और उनके अपने तर्क भी है। संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर को शीर्ष अदालत का ये फैसला अच्छा नहीं अपितु अदालतों को भी है। वे जनमानस के मनोभावों के अनुरूप चलती हैं। क्रानून और साक्ष्य तथा तर्क-वित्क अदालतों को फैसला करने में सहायक होते हैं।

भगवान शिव के प्रति जन-जन की भक्ति और निष्ठा, उनका समर्पण और उनकी स्तुति अनायास नहीं है, बल्कि भक्तों ने शिव की भक्ति में वह सब कुछ पाया है, जो उन्होंने चाहा है। यह उस अनादिअनंत, शांतस्वरूप पुरुषोत्तम शिव के प्रताप से परस्पर प्रेमपूर्वक निवास करते हैं। शंकर का वाहन बैल है तो पार्वती का वाहन सिंह, गणेश का वाहन चूहा है तो शिव के गले का हार सर्प एवं कार्तिकेय का वाहन मूर्य है। ये सभी परस्पर वैरभाव को छोड़ कर सौंहार्द एवं सद

संसद में आज भी जाति पूँछों जाती है और निर्ममता से पूँछी जाती है।

बात एकदम ताजा है। शीर्ष अदालत डू सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के इवी चिरंग्राम केस में दिए गए अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि राज्यों को अजा-अजजा कैटिगरी में सब-क्लासिफिकेशन का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य को डेटा से यह दिखाना होगा कि उस वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। जस्टिस बी. आर. गवई ने समेत चार जजों ने यह भी कहा कि अजा-अजजा कैटिगरी में भी क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। मौजूदा समय में क्रीमीलेयर का सिद्धांत सिर्फ ओबीसी में लागू है। सात जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी का फैसला अलग था।

शीर्ष अदालत ने अपना ही फैसला बदलने में एवं शीर्ष साल का सामान आरक्षण के मुद पर राजनातक दल हों या दलों को राजनीति सीखने वाले संघ, अपनी सुविधानुसार रंग बदलते आये हैं। जो आरएसएस कभी आरक्षण का प्रबल विरोध करता है वो ही संघ आरक्षण का समर्थन करने लगता है। यही हाल सत्तारूढ़ भाजपा और अन्य दलों का है। इसलिए कम से कम मैं तो शीर्ष अदालत के फैसले से मुतर्मझन हूँ। मैं जानता हूँ की शीर्ष अदालत के इस ताजा फैसले के बाद भी राजनितिक दल और नौकरशाही बीच का कोई रास्ता निकल कर अपना उद्धृ सीधा करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये उनका काम है। अदालत ने अपना काम किया है। आरक्षण की मरलाई और छाछ को लेकर ये द्वन्द्व भी उतना ही सनातन हो चुका है जितनी सनातन हमारी आरक्षण विरोधी और समर्थक राजनीति। इसके फायदे भी हैं और नुक्सान भी। (लेखक राकेश अचल / ईएमएस)

आरक्षण के मुद पर राजनातक दल हों या दलों को राजनीति सीखने वाले संघ, अपनी सुविधानुसार रंग बदलते आये हैं। जो आरएसएस कभी आरक्षण का प्रबल विरोध करता है वो ही संघ आरक्षण का समर्थन करने लगता है। यही हाल सत्तारूढ़ भाजपा और अन्य दलों का है। इसलिए कम से कम मैं तो शीर्ष अदालत के फैसले से मुतर्मझन हूँ। मैं जानता हूँ की शीर्ष अदालत के इस ताजा फैसले के बाद भी राजनितिक दल और नौकरशाही बीच का कोई रास्ता निकल कर अपना उद्धृ सीधा करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये उनका काम है। अदालत ने अपना काम किया है। आरक्षण की मरलाई और छाछ को लेकर ये द्वन्द्व भी उतना ही सनातन हो चुका है जितनी सनातन हमारी आरक्षण विरोधी और समर्थक राजनीति। इसके फायदे भी हैं और नुक्सान भी। (लेखक राकेश अचल / ईएमएस)

शब्द पहली - 8087

1	2		3	4
5		6		
7		8	9	
	10	11		
12	13	14	15	16
			17	18
19	20	21		22
	23			
			24	

बाएँ से दाएँ

- उच्च कुल का-3
- अधिवर्ष, 29 फरवरी वाला वर्ष-2,3
- जलज, पंकज, नीरज-3
- कंठ, गला-3
- वचन, प्रतिज्ञा-3
- विवाह, व्याह-2
- सोना, धूरा-3
- टेका, आसरा-3
- वरी, आदत-2
- पक्षियों का शोर, पक्षियों की चहचहाट-4
- अनवन, कहासुनो-4
- वरी आदत-2
- रेखा, लाइन-3
- ल्प्या, पैसा-2
- भ्रम, संदेह-3
- नवचंद्राकार-5
- कहानी लिखनेवाला-5
- अनुकृति-3
- अंजन-3
- भला कार्य-3
- वजह-3
- युद्ध, संग्राम-2

ऊपर से नीचे

- अधिवर्ष, 29 फरवरी वाला वर्ष-2,3
- जलज, पंकज, नीरज-3
- वचन, प्रतिज्ञा-3
- विवाह, व्याह-2
- सोना, धूरा-3
- टेका, आसरा-3
- वरी, आदत-2
- पक्षियों का शोर, पक्षियों की चहचहाट-4
- अनवन, कहासुनो-4
- वरी आदत-2
- रेखा, लाइन-3
- ल्प्या, पैसा-2
- भ्रम, संदेह-3
- नवचंद्राकार-5
- कहानी लिखनेवाला-5
- अनुकृति-3
- अंजन-3
- भला कार्य-3
- वजह-3
- युद्ध, संग्राम-2

शब्द पहली - 8086 का हल

भ	क	स	र	म	च	त
व	य	व	ज	ह	त	प
क	य	व	ज	ह	त	प
ग	न	र	न	द	त	ल
क	स	म	स	व	क	क
ह	म	न	म	ह	क	न
म	न	म	न	म	क	
स	क	व	व	म	ल	
फ	ग	न	ग	त	व	
म	ग	म	ग	त	व	

Jagrutidaun.com - Bangalore

अब सवाल यह है कि क्या नतांगी बदलने में पूरे बास साल का समय अचल / इएमएस Jagrutidaur.com, Bangalore है। वह अपने जमाने के बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल थे।



